

समाहरणालय, मुंगेर।  
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,)  
आदेश

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के आवंटन आदेश संख्या-11दिनांक-03.08.2012 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष-2012-13 में राज्य योजनान्तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना में अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना के पेंशनधारियों को माह अप्रैल 2012 से माह सितम्बर 2012 तक नगद पेंशन भुगतान हेतु मुंगेर जिले को मो0-54,000=00(चौवन हजार)रूपये का आवंटन प्राप्त हुए है, जिसे निम्न प्रकार से उपावंटित किया जाता है :-

क्र0	प्रखंड का नाम	पेंशनधारियों की अनुमानित संख्या	उपावंटित राशि	अभियुक्ति।
1	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर।	06	10,800=00	नगर निगम सहित
2	प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमालपुर।	05	9,000=00	नगर परिषद सहित
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर।	02	3,600=00	
4	प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा।	03	5,400=00	
5	प्रखंड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर।	05	9,000=00	नगर पंचायत सहित
6	प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेटिया-बम्बर।	01	1,800=00	
7	प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर।	03	5,400=00	
8	प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर।	02	3,600=00	
9	प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज।	03	5,400=00	
	कुल :-	30	54,000=00	

(2) उक्त उपावंटित राशि से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजनान्तर्गत स्वीकृत पेंशनधारियों (विशेष घटक) को 300/-तीन सौ रूपये प्रतिमाह की दर से छः माहों के भुगतान हेतु राशि उपावंटित की जा रही है।

(3) उपावंटित राशि माँग सं0-51, मुख्य शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-03-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0103- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, विषय शीर्ष 31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड सं0-P-2235037890103 तथा स्कीम कोड WEL-5499 से विकलनीय होगा।

(4) उक्त उपावंटित राशि वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17.04.98 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश सं0-1716 दिनांक 03.08.2012 के आलोक में पेंशनधारियों को पेंशन के नगद भुगतान हेतु शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित की जाय।

(5) जिस मद में राशि उपावंटित की गयी है, उसे उसी मद में व्यय करना सुनिश्चित की जाय।

(6) प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर, जमालपुर एवं खड़गपुर को निदेशित किया जाता है कि उन्हें नगर निगम, नगर परिषद, एवं नगर पंचायत के इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशनधारियों की भी राशि उपावंटित की जा रही है। नगर निगम, नगर परिषद, एवं नगर पंचायतों का वितरण फंजी अलग से संधारित करेंगे, ताकि वास्तविक पेंशनधारियों के अनुरूप अगले छः माहों के पेंशन भुगतान हेतु राशि सीधे नगर निगम, नगर परिषद, एवं नगर पंचायतों को उपावंटित की जा सके।

(7) उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीधे महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित की जाय।

(8) उपावटित राशि की निकासी कोषागार मुंगेर से करते हुए अपने प्रखंड अन्तर्गत एक दिन शिविर का आयोजन कर भुगतान करना सुनिश्चित करें साथ ही साथ शिविर की तिथि से अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से अवगत कराना सुनिश्चित की जाय।

"हं"

जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।

ज्ञापांक...../सा0सु0को0,दिनांक.....

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी,मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी,सदर/खड़गपुर/एवं तारापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- नगर आयुक्त,नगर निगम मुंगेर/कार्यपालक पदाधिकारी,नगरपरिषद,जमालपुर/नगरपंचायत,खड़गपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

"हं"

जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।

ज्ञापांक.....546...../सा0सु0को0,दिनांक.....13/9/12.....

प्रतिलिपि :- NIC मुंगेर को सूचनार्थ एवं मुंगेर के वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।